



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-17.01.2025

ना कांधला पुलिस द्वारा व्यापारी से अवैध वसूली हेतु रुपयों व गाडी की मांग करने की घटना में 25000/- रुपये का ईनामी/वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तरीके से प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल व कार बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 08.01.2025 को वादी श्री आबिद सैफी पुत्र गाजूदीन निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कांधला जनपद शामली जिनकी सैफी ट्रेडिंग कम्पनी नाम से कांधला में दुकान है के द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति ने फोन द्वारा जिसने अपना नाम सुरेन्द्र काला पुत्र नामालूम निवासी पानीपत हरियाणा बताया एवं 50 लाख रुपये व एक फार्चुनर गाडी की मांग करने तथा मांग पूरी न करने पर धमकी देने के संबंध में तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमों का गठन किया गया था। उपरोक्त घटना का आनवरण करते हुए दिनांक 16.01.2025 को अभियुक्तगण जुबेर, जहूर व युसूफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में संलिप्त व गिरफ्तारी हेतु शेष वांछित सिंकदर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.01.2025 पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला द्वारा व्यापारी से अवैध वसूली हेतु रुपयों व गाडी की मांग करने की घटना में 25000/- रुपये का ईनामी/ वांछित 01 अभियुक्त को कांधला बडौत मार्ग पर चैकिंग के दौरान गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, कब्जे से अवैध तरीके से प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल व स्वीफ्ट कार बरामद हुयी है। अभियुक्त को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सिंकदर पुत्र मौसम अली निवासी ग्राम खानपुर जपती थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सिंकदर उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 9/25 धारा 308(5)/3(5) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 19/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 4782 धारा 135 -1(ए) भारतीय विधुत अधिनियम थाना एंटी पावर थेफ्ट थाना गाजियाबाद।

4.मु0अ0सं0 6047 धारा 135 -1(ए) भारतीय विधुत अधिनियम थाना एंटी पावर थेफ्ट थाना गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक पिस्टल मय दो जिंदा कारतूस 7.65 एमएम (लाइसेंसी पिस्टल युसूफ पुत्र उमरद्दीन निवासी मौहल्ला मिर्दगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली के नाम पर दर्ज है।)

2.एक स्वीफ्ट कार रजि न0- UP14GC9426।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 17.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.शाकीब पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 256 ग्राम चरस बरामद:-

दिनांक 16.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 256 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अंजार पुत्र मौ0 उमर निवासी मौहल्ला भरादीपुरदीन थाना कोतवाली बिजनौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण:-

अवैध 256 ग्राम चरस।



थाना झिंझाना/गढीपुख्ता/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 17.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/गढीपुख्ता/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.किरणपाल पुत्र जयसिंह निवासी मौहल्ला डेरी चौक करबा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 2.किशनपाल पुत्र जयसिंह निवासी मौहल्ला डेरी चौक करबा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 3.लोकेश पुत्र ईलमा पंडित निवासी ग्राम शेरपुर थाना धनौरामंडी जनपद अमरोहा ।
- 4.सुदेश पुत्र ईलमा पंडिता निवासी ग्राम शेरपुर थाना धनौरा जनपद अमरोहा ।
- 5.मेरहबान पुत्र इस्राईल निवासी मौहल्ला काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।



